

[प्ररूप 12ख
[नियम 20(2) और 35क देखिए]
निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विधान सभा
संसदीय

निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक है, उनका निर्वाचक नामावली संख्यांक है, उसके निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ होने के कारण वह उस मतदान केन्द्र में, जहां वह मत देने का हकदार है, मत देने में असमर्थ है और इसलिए उसे ²[उक्त निर्वाचन-क्षेत्र में] किसी भी मतदान केन्द्र में, जहां मतदान के दिन वह कर्तव्यारूढ़ हो, मत देने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.

हस्ताक्षर

स्थान

तारीख

रिटर्निंग आफिसर

मुद्रा

² अधिसूचना सं. का. आ. 565 (अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतः स्थापित.